5-3-18

आज ..... होने से
जनरल ता. दी गई गत आदेशों
की पालना में दिनांक 10-4-18
को पेश हो।

10-4-18 वकील प्रार्थी की अनुपस्थिति है। प्रार्थी भी उपस्थित नहीं है। अग्रिम कार्यवाही आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 4-5-18 को पेश हो।

4/5/18 आज P.O. के कोर्ट में हाजिर होने से
जनरल ता. दी गई गत आदेशों
की पालना में दिनांक 13/7/18
को पेश हो।

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2018

26-6-18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प में पेश हुई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी मवाद तमलना एवं अन्य निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है। मूल वाद के लम्बित रहने तक उभयपक्षों में सामान्य स्थिति एवं यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाना समीचीन है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा मूल वाद के लम्बित रहने तक उभयपक्षों को ग्राम नांगल चांदा तहसील दौसा में स्थित ख.नं. 51/0.08, 54/0.42, 45/0.45, 48/0.51 से अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाता है।

सहायक कलक्टर,
दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ हुक्म की तामी में ज़ारी हुए
	तथा 50 / 1.05 कुल किता 5 कुल रकबा 2-51 है० भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति बयान रहे। प्रकरण पैमाल शुमारी नम्बर से कब्जे दखलाद हासिल प्रविष्ट लेख नवीन है एवं मूल वाद के संबंधित है। निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट भाजाल थाना के समक्ष आज में लिखवाया जाकर सुनाया गया।	

तारीख

हुक्म

आज तारीख 2018